ए.

शिवा कुमार @ शिवा @ शिवमूर्ति बनाम।

कर्नाटक राज्य

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 942) 28 मार्च, 2023

बी.

[अभय एस. ओका और राजेश बिंदल, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860–एस. एस.366, 376 और 303–संशोधित दंड अधिरोपित करने की शक्ति–अपीलार्थी ने यू/एस. एस. के तहत दोषी ठहराया।366, 376 और आई. पी. सी. की धारा 304–निचली अदालत ने अपीलार्थी को अपने शेष जीवन के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई–उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया–उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि संविधान पीठ द्वारा संविधान में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए –

सी.

भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण उर्फ मुरुगन और अन्य का मामला, एक संशोधित

सजा केवल संवैधानिक न्यायालयों द्वारा दी जा सकती है न कि सत्र न्यायालयों द्वारा–अभिनिर्धारितवी. श्रीहरण मामले में संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि मृत्युदंड के विकल्प के रूप में कारावास की किसी विशिष्ट अवधि या दोषी के जीवन के अंत तक प्रदान करने की संशोधित सजा देने की शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और किसी अन्य निम्न न्यायालय द्वारा नहीं–विचारण न्यायालय यह निर्देश नहीं दे सकता था कि अपीलार्थी को उसके शेष जीवन तक रिहा नहीं किया जाएगा–ऐसे मामले में भी जहां मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, संवैधानिक न्यायालय हमेशा यह निर्देश देकर संशोधित या निश्चित अवधि की सजा देने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि आजीवन कारावास चौदह साल से अधिक की निश्चित अवधि का होगा–मामले की दी गई परिस्थितियों में, तीस साल की अवधि के लिए एक निश्चित अवधि की सजा दी जाती है।

डी.

ई.

एफ.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः1. आजीवन कारावास की सजा देते समय, यदि यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त को एक विशिष्ट अवधि के लिए रिहा नहीं किया जाएगा, तो यह एक संशोधित सजा बन जाती है।ऐसे मामले में, दी गई निश्चित अवधि की समाप्ति से पहले, Cr.P.C के तहत छूट देने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।[पैरा 7] [674–बी]

जी.

2. संविधान पीठ द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसे संकीर्ण परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया जा सकता है।संविधान पीठ ने

अभिनिर्धारित किया कि ऐसी शक्ति है जो आई. पी. सी. से एक निश्चित अवधि की सजा या संशोधित सजा अधिरोपित करने के लिए प्राप्त की जा सकती है जिसका प्रयोग केवल उच्च न्यायालय या किसी और अपील की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है न कि इस देश के किसी अन्य न्यायालय द्वारा।इसके अलावा, संविधान पीठ ने कहा कि मृत्युदंड के विकल्प के रूप में कारावास की किसी भी विशिष्ट अवधि या दोषी के जीवन के अंत तक प्रदान करने की संशोधित सजा देने की शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, न कि किसी अन्य निम्न न्यायालय द्वारा।[पैरा 11] [676–एफ–जी]

बी.

3. जब कोई संवैधानिक न्यायालय यह पाता है कि यद्यपि कोई मामला 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामले की श्रेणी में नहीं आता है, अपराध की गंभीरता और प्रकृति और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, वह हमेशा एक निश्चित अवधि की सजा दे सकता है ताकि वैधानिक छूट आदि का लाभ अभियुक्त को उपलब्ध न हो।वी. श्रीहरण के मामले में बहुमत के दृष्टिकोण का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग संवैधानिक न्यायालयों द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि मौत की सजा को कम करने का सवाल न हो।[पैरा 12] [677–ए–सी]

सी.

डी.

4. इस न्यायालय को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मामले में भी जहां मृत्युदंड नहीं लगाया गया है या प्रस्तावित नहीं किया गया है, संवैधानिक न्यायालय हमेशा यह निर्देश देकर एक संशोधित या निश्चित अवधि की सजा देने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि आजीवन कारावास, जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 53 में "द्वितीय" द्वारा विचार किया गया है, चौदह वर्ष से अधिक की एक निश्चित अवधि का होगा, उदाहरण के लिए, बीस वर्ष, तीस वर्ष और इसी तरह।Cr.P.C की धारा 433A के अधिदेश को देखते हुए निश्चित सजा 14 साल से कम की अवधि के लिए नहीं हो सकती है। [पैरा 13] [677–जी–एच; 678–ए]

ई.

एफ.

5. यह सच है कि निचली अदालत यह निर्देश नहीं दे सकती थी कि अपीलार्थी को उसके शेष जीवन तक रिहा नहीं किया जाएगा।ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि दोषसिद्धि की तारीख पर, अपीलार्थी की आयु 27 वर्ष थी और उसकी एक पत्नी और छोटे बच्चे के साथ–साथ वृद्ध माता–पिता भी थे।इन कारकों के साथ–साथ इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह अपीलार्थी द्वारा किया गया पहला अपराध था, निचली अदालत ने पाया कि मामला 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामलों की श्रेणी में नहीं आ रहा था।इस न्यायालय को जल्दबाजी में यह जोड़ना चाहिए कि यह तथ्य कि अभियुक्त का कोई पूर्ववृत्त नहीं है, ए

जी.

एच.

यह तय करने के लिए कि क्या अभियुक्त 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामलों की श्रेणी में आएगा, अपने आप में कोई विचार नहीं है। [पैरा 15] [678–जी–एच; 679–ए]

6. यह एक ऐसा मामला है जिसमें एक संवैधानिक न्यायालय को संशोधित सजा की एक विशेष श्रेणी लागू करने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि निचली अदालत द्वारा दी गई सजा परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों के बैलेंस शीट पर विचार करने के बाद उचित थी।यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सभी उपस्थित परिस्थितियों पर विचार करे।न्यायालय को अभियुक्त के सुधार की संभावना पर विचार करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के क्रूर मामले में अनुचित नरमी दिखाने से कानूनी प्रणाली की प्रभावशीलता में जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय को पीड़ित के अधिकारों पर भी विचार करना चाहिए।इन परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें तीस साल की अवधि के लिए एक निश्चित अवधि की सजा दी जानी चाहिए।[पैरा 16] [679–बी–डी]

बी.

सी.

डी.

भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण उर्फ मुरुगन और अन्य।

2016 (7) एससीसी 1:[2015] 14 एस. सी. आर. 613–अनुसरण किया गया।

स्वामी श्रद्धानंद (2) उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा

कर्नाटक राज्य 2008 (13) एस. सी. सी. 767:[2008] 11

ई.

एस. सी. आर. 93; साहिब हुसैन उर्फ साहिब जान बनाम राज्य

राजस्थान 2013 (9) एससीसी 778:[2013] 2 एससीआर 1019;

गुरवेल सिंह उर्फ गाला बनाम पंजाब राज्य 2013 (10)

एससीसी 631:[2013] 17 एस. सी. आर. 983–संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

एफ.

[2015] 14 एससीआर 613

पीछा किया।

पैरा 3 [2008] 11 एस. सी. आर. 93 पैरा 3 [2013] 2 एस. सी. आर. 1019 पैरा 4 [2013] 17 एस. सी. आर. 98 पैरा 4 को संदर्भित

जी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2023 की आपराधिक अपील No.942।

2011 के सी. आर. एल. ए. No.245 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 31.05.2016 के निर्णय और आदेश से।

एच.

672

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

के. परमेश्वर, शेखर जी. देवसा, मनीष तिवारी, सुश्री थश्मिता मुथन्ना, प्रशांत दीक्षित, विश्वनाथ चतुर्वेदी, शशि भूषण, एम/एस. देवसा एंड कंपनी के लिए सुनील अंबवेलिल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।शुभ्रांशु पाधी, विशाल बंशल, सुश्री राजेश्वरी शंकर, नीरोप सुकृति, ओवियास मोह., अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस. ओकेए, जे.

1. पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी।

वास्तविक पहलू

सी.

2. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, आई. पी. सी.) की धारा 366, 376 और 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।विवाद आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा तक सीमित है। विद्वान सत्र न्यायाधीश (फास्ट-ट्रैक कोर्ट) ने अपीलार्थी को अपने शेष जीवन के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपीलार्थी ने दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।राज्य सरकार ने सजा बढ़ाने की अपील को प्राथमिकता दी।उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले से दोनों अपीलों को खारिज कर दिया।21 अप्रैल 2017 को इस न्यायालय द्वारा केवल सजा पर नोटिस जारी किया गया था।

डी.

ई.

प्रस्तुतियाँ

3. अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए

भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण उर्फ मुरुगन के मामले में यह न्यायालय

& ओआरएस। 1, एक संशोधित सजा केवल संवैधानिक न्यायालयों द्वारा दी जा सकती है न कि सत्र न्यायालयों द्वारा।उन्होंने कहा कि संवैधानिक न्यायालय या तो पूरे जीवन के लिए या एक विशिष्ट अवधि के लिए आजीवन कारावास की सजा दे सकते हैं, केवल एक आरोपी पर लगाई गई मौत की सजा को कम करते हुए।यदि मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, तो अदालतें संशोधित सजा देने में असमर्थ हैं।उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद (2) उर्फ के मामले में इस अदालत के एक फैसले पर भी भरोसा किया।

एफ.

जी.

मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य 2.उन्होंने हमें आमंत्रित किया

वी. श्रीहरण 1 के मामले में संविधान पीठ के निर्णय के पैराग्राफ 105 पर ध्यान दें, जिसमें इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि एक संशोधित सजा केवल मृत्युदंड का विकल्प हो सकती है।इसलिए उन्होंने,

1 2016 (7) एससीसी 1

2 2008 (13) एससीसी 767 ए

एच.

673

शिवा कुमार @शिवा @शिवमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य [अभय एस. ओका, जे.] ए.

प्रस्तुत किया कि संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि एक निश्चित अवधि की सजा या संशोधित सजा को मृत्युदंड के प्रतिस्थापन के रूप में लगाया जा सकता है।

4. उन्होंने कहा कि इस न्यायालय के बाद के फैसलों से भी पता चलता है कि संशोधित सजा केवल उन मामलों में दी गई थी जहां मृत्युदंड को कम किया गया है।उन्होंने निर्णय पर भरोसा किया

बी.

साहिब हुसैन उर्फ साहिब जान बनाम राजस्थान राज्य 3 और गुरवेल सिंह उर्फ गाला बनाम पंजाब राज्य 4 के मामले में इस न्यायालय का।

5. तथ्यों पर, उन्होंने बताया कि अपराध के समय, अपीलार्थी की आयु 22 वर्ष थी।उन्होंने बताया कि अपीलार्थी की एक युवा पत्नी, एक छोटा बच्चा और बूढ़े माता–पिता हैं।इसके अलावा, उनका कोई पूर्व इतिहास नहीं है और समाज के लिए कोई खतरा नहीं है।इसके अलावा, जेल में उसका आचरण संतोषजनक है और वास्तव में, उसने जेल में रहते हुए बी. ए. डिग्री कोर्स पूरा कर लिया है।अंत में, उन्होंने बताया कि अपीलार्थी को लगभग सत्रह साल और दो महीने की सजा हो चुकी है।

सी.

डी.

6. प्रत्यर्थी–राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का निवेदन है कि संवैधानिक न्यायालय अपराध की गंभीरता, अभियुक्त के आचरण और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए संशोधित सजा देने के लिए शक्तिहीन नहीं हैं, भले ही मृत्युदंड नहीं लगाया गया हो।उन्होंने प्रस्तुत किया कि संशोधित सजा देने की संवैधानिक न्यायालयों की शक्ति को यह कहते हुए सीमित नहीं किया जा सकता है कि उक्त शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब मौत की सजा को कम करने का सवाल हो। निचली अदालत और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले के तथ्यों में सबसे कठोर सजा पर विचार किया गया था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय ने सभी तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करने के बाद, अपीलार्थी के पूरे जीवन के लिए सजा देकर सत्र न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को दोहराया है।

ई.

एफ.

हमारा दृष्टिकोण

जी.

7. आई. पी. सी. के अध्याय III के तहत अलग–अलग दंड दिए गए हैं।धारा 53 में पाँच श्रेणियों के दंड का प्रावधान हैःमृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास (कठोर या सरल), संपत्ति की जब्ती और जुर्माना।यह भी एक स्थिर स्थिति है कि

3 2013 (9) एससीसी 778 4 2013 (10) एससीसी 631

एच.

674

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

जब किसी अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो कारावास आरोपी के जीवन के अंत तक जारी रह सकता है।हालाँकि, यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'Cr.P.C.') के प्रावधानों और माननीय राज्यपाल और भारत के माननीय राष्ट्रपति में निहित संवैधानिक शक्तियों के तहत छूट के अनुदान के अधीन है।आजीवन कारावास की सजा देते समय, यदि यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त को एक विशिष्ट अवधि के लिए रिहा नहीं किया जाएगा, तो यह एक संशोधित सजा बन जाती है।ऐसे मामले में, दी गई निश्चित अवधि की समाप्ति से पहले, Cr.P.C के तहत छूट देने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

बी.

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इस मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 56 में जो कहा गया है, उस पर भरोसा किया है –

सी.

स्वामी श्रद्धानंद 2, जो इस प्रकार हैः

." 56. लेकिन यह अपीलार्थी के अपराध के अनुरूप सजा के बारे में एक अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है।14 साल की अवधि के लिए कारावास की सजा, जो आजीवन कारावास के सौम्योक्ति के तहत जाती है, समान रूप से, यदि अधिक नहीं, अस्वीकार्य है।वास्तव में, श्री हेगड़े ने हमें सूचित किया कि अपीलार्थी को आई. डी. 1 पर हिरासत में लिया गया था और प्रस्तुत किया कि छूट से संबंधित प्रावधानों के आधार पर, बिना किसी योग्यता या आगे के निर्देश के आजीवन कारावास की सजा, पूरी संभावना में, 2009 की पहली तिमाही में जेल से उसकी रिहाई का कारण बनेगी क्योंकि वह पहले ही 14 साल से अधिक की कैद पूरी कर चुका है।यह संभावना इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है।फिर जवाब क्या है? इसका उत्तर इस मानकीकरण को तोड़ने में निहित है कि, व्यवहार में, 14 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास के बराबर आजीवन कारावास की सजा; यह स्पष्ट करने में कि आजीवन कारावास की सजा

डी.

ई.

एफ.

जब मृत्युदंड के विकल्प के रूप में दिया जाएगा

न्यायालय के निर्देश के अनुसार सख्ती से किया गया।यह न्यायालय,

इसलिए, मृत्युदंड के विकल्प के रूप में दिए गए आजीवन कारावास की सजा को किसी भी छूट से परे रखने और न्यायालय द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए एक अच्छा और ठोस कानूनी आधार निर्धारित करना चाहिए ताकि उचित मामलों में इसका पालन न केवल इस न्यायालय द्वारा बल्कि उच्च न्यायालयों द्वारा भी एक समान नीति के रूप में किया जा सके, जो अपने–अपने राज्यों में उच्च न्यायालय हैं।एक सुझाव

जी.

यह प्रभाव इस न्यायालय द्वारा लगभग तीस साल पहले दलबीर ए मामले में डाला गया था।

एच.

675

शिवा कुमार @ शिवा @ शिवमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य [अभय एस. ओका, जे.] ए.

सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1979) 3 एससीसी 745:1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 848]निर्णय के पैरा 14 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित और टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पी. 753)

." 14. वर्तमान अपील में मृत्युदंड की सजा को घटाकर आजीवन कारावास किया जा सकता है।हम इसमें एक फुटनोट जोड़ सकते हैं

राजेन्द्र प्रसाद मामले में निर्णय [राजेन्द्र प्रसाद बनाम राज्य]

बी.

उत्तर प्रदेश का (1979) 3 एस. सी. सी. 646:1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 749]

उन्मूलन पर अंग्रेजी कानून से संकेत लेते हुए, हम सुझाव दे सकते हैं कि आजीवन कारावास जिसका सख्ती से मतलब पुरुषों के पूरे जीवन के लिए कारावास है, लेकिन व्यवहार में 10 से 14 साल के बीच की अवधि के लिए कारावास के बराबर है।

सी.

दोषी ठहराने वाले न्यायालय के विकल्प पर, इस शर्त के अधीन हो सकता है कि कारावास की सजा आजीवन रहेगी, जहां जानलेवा पुनरावृत्ति के असाधारण संकेत हैं और समुदाय दोषी के फरार होने का जोखिम नहीं उठा सकता है।यह न्यायिक देखभाल करता है

डी.

आशंका है कि जब तक अपराधी को शारीरिक रूप से समाप्त नहीं किया जाता है, वह किसी दूरस्थ समय पर हत्या को दोहरा सकता है।."

हम सोचते हैं कि यह समय दलबीर सिंह [(1979) 3 एस. सी. सी. 745 में सुझाए गए पाठ्यक्रम का हैः1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 848] को न्यायालय द्वारा औपचारिक मान्यता मिलनी चाहिए।."

ई.

(जोर जोड़ा गया) 9.वी. श्रीहरण 1 के मामले में, संविधान पीठ उस प्रश्न पर विचार कर रही थी जो पैराग्राफ 50 में उद्धृत है, जो इस प्रकार हैः"50. इस प्रकार संविधान, दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और डी. एस. पी. ई. अधिनियम में प्रासंगिक प्रावधानों को नोट करने के बाद, हम उन प्रश्नों से निपटना चाहते हैं जिन्हें हमारे विचार के लिए क्रमबद्ध रूप से संदर्भित किया गया है। संविधान पीठ के विचार के लिए तैयार किया गया पहला प्रश्न इस प्रकार हैः(वी. श्रीहरण मामला [भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण, (2014) 11 एस. सी. सी. 1:(2014) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1], एस. सी. सी पी.19, पैरा 52)

एफ.

जी.

" 52.1.चाहे दंड संहिता की धारा 45 के साथ पठित धारा 53 के संदर्भ में आजीवन कारावास का अर्थ कैदी के शेष जीवन के लिए कारावास हो या आजीवन कारावास से गुजर रहे दोषी को छूट का दावा करने का अधिकार है और क्या पैरा 91 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार

एच.

676

(2) (2009) 3

(."

10.

." 105.

" (

12.

677

शिवा कुमार @ शिवा @ शिवमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य [अभय एस. ओका, जे.] ए.

ऐसी स्थिति में, किए गए अपराध के लिए निर्धारित सजा के आधार पर, निचली अदालत आई. पी. सी. की धारा 53 में विशेष रूप से प्रदान की गई अन्य सजा दे सकती है। हालांकि, जब एक संवैधानिक न्यायालय को पता चलता है कि हालांकि कोई मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामले की श्रेणी में नहीं आता है, तो अपराध की गंभीरता और प्रकृति और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को देखते हुए, वह हमेशा एक निश्चित अवधि की सजा दे सकता है ताकि आरोपी को वैधानिक छूट आदि का लाभ उपलब्ध न हो।वी. श्रीहरण 1 के मामले में बहुमत के दृष्टिकोण का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग संवैधानिक न्यायालयों द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि मौत की सजा को कम करने का सवाल न हो। संविधान पीठ ने अपने फैसले के पैराग्राफ 104 में जो निर्णय दिया है, वह इस निष्कर्ष का अच्छी तरह से समर्थन करता है, जो इस प्रकार हैः

बी.

सी.

." 104. इसके अलावा, ऐसे अधिकांश मामलों में जहां निचली अदालत द्वारा मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है, संबंधित दोषी को इस अदालत में विशेष अनुमति के माध्यम से आगे की अपील दायर करके इस तरह के फैसले का परीक्षण करने का अवसर मिलेगा।वैसे।

डी.

प्रचुर सावधानी बरतते हुए और संहिता के निर्धारित कानून और आपराधिक न्यायशास्त्र के अनुसार, हम यह दावा कर सकते हैं कि ऐसे निर्दिष्ट गंभीर अपराधों के अपराध के प्रारंभिक निष्कर्ष और मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा के बाद, जब उच्च न्यायालय की खंड पीठ की जांच के दायरे में आता है, तो यह केवल उच्च न्यायालय है जो दंड संहिता के तहत शक्ति प्राप्त करता है, जो मृत्युदंड और वैकल्पिक सजा निर्धारित करता है, जिसमें से एक को दोषी के पूरे जीवन के लिए या 14 साल से अधिक की किसी विशिष्ट अवधि के लिए, जैसे कि 20,30 या उससे अधिक के लिए, अपराध की गंभीरता और किए गए अपराध के लिए उपयुक्त न्यायिक विवेक का प्रयोग करने के आधार पर बदला जा सकता है।."

ई.

एफ.

(जोर जोड़ा गया) 13।इसलिए, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मामले में भी जहां मृत्युदंड नहीं लगाया गया है या प्रस्तावित नहीं है, संवैधानिक न्यायालय हमेशा यह निर्देश देकर एक संशोधित या निश्चित अवधि की सजा देने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि एक आजीवन कारावास, जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 53 में "दूसरी बात" में विचार किया गया है, चौदह साल से अधिक की एक निश्चित अवधि का होगा, उदाहरण के लिए, बीस साल, तीस साल और

जी.

एच.

678

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

इत्यादि।Cr.P.C की धारा 433A के अधिदेश को देखते हुए निश्चित सजा 14 साल से कम की अवधि के लिए नहीं हो सकती है।

14. अब हम मामले के तथ्यों पर आते हैं।तथ्य ऐसे हैं, जो किसी भी न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देंगे।मृतक महिला, जो खुशहाल शादीशुदा थी, एक प्रमुख कंपनी में काम करती थी जिसका कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बेंगलुरु में था।अपने कर्तव्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उन्हें देर रात तक या सुबह तक भी काम करना पड़ता था।कंपनी उसे कार के रूप में परिवहन प्रदान करती थी।कंपनी विभिन्न निर्धारित मार्गों पर कर्मचारियों को कारें प्रदान करती थी।दुर्भाग्यपूर्ण दिन, मृतक 2 बजे कार्यालय से निकलाः00 कंपनी द्वारा प्रदान किए गए वाहन में ए. एम.वह रूट नं. पर चलने वाला वाहन लेती थी।131.उस दिन, अपीलार्थी, जो चालक था, ने उसे सूचित किया कि मार्ग नं.131 उपलब्ध नहीं था।अपीलार्थी ने उससे कहा कि उसे मार्ग संख्या पर चलने वाले उसके वाहन से यात्रा करनी होगी।405.मृतक, तदनुसार, आरोपी द्वारा चलाई जा रही कार में बैठा था।मृतक के मामा ने यह कहते हुए शिकायत दर्ज कराई कि मृतक लापता है।अंततः, अपीलार्थी के कहने पर उसका मृत शरीर बरामद किया गया।मृतक के व्यक्ति के कपड़े, जूते आदि शव के पास पाए गए।अभियोजन पक्ष ने बलात्कार के अपराध का आरोप सफलतापूर्वक स्थापित किया, जो आई. पी. सी. की धारा 376 के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 366 के तहत दंडनीय है। अपीलार्थी-अभियुक्त को भी धारा302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।28 साल की उम्र में पीड़ित का जीवन इस क्रूर तरीके से कम कर दिया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

15. कई प्रमुख शहरों में आई. टी. केंद्र स्थापित किए गए हैं।वास्तव में, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है।इनमें से कुछ कंपनियों के ग्राहक विदेशों में हैं और यही कारण है कि कंपनी के कर्मचारी रात में काम करते हैं।ऐसी कंपनियों में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी हैं।मुद्दा ऐसी कंपनियों के साथ काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा का है।हमने निचली अदालत के फैसले पर गौर किया है।यह सच है कि निचली अदालत यह निर्देश नहीं दे सकती थी कि अपीलार्थी को उसके शेष जीवन तक रिहा नहीं किया जाएगा।ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि दोषसिद्धि की तारीख पर, अपीलार्थी की आयु 27 वर्ष थी और उसकी एक पत्नी और छोटे बच्चे के साथ-साथ वृद्ध माता-पिता भी थे।इन कारकों के साथ-साथ इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह अपीलार्थी द्वारा किया गया पहला अपराध था, निचली अदालत ने पाया कि मामला 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामलों की श्रेणी में नहीं आ रहा था।हमें जल्दबाजी में यह जोड़ना चाहिए कि यह तथ्य कि अभियुक्त का कोई पूर्ववृत्त नहीं है, ए नहीं है।

एफ.

जी.

एच.

679

शिवा कुमार @शिवा @शिवमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

यह तय करने के लिए स्वयं विचार करना कि क्या अभियुक्त 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामलों की श्रेणी में आएगा।यह सब कई कारकों पर निर्भर करता है।राज्य सरकार अपील दायर करके मृत्युदंड पाने के अपने प्रयास में विफल रही।

16. यह एक ऐसा मामला है जिसमें एक संवैधानिक न्यायालय को संशोधित सजा की एक विशेष श्रेणी लागू करने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि निचली अदालत द्वारा दी गई सजा परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों के बैलेंस शीट पर विचार करने के बाद उचित थी।यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सभी उपस्थित

परिस्थितियों पर विचार करे।न्यायालय को अभियुक्त के सुधार की संभावना पर विचार करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के क्रूर मामले में अनुचित नरमी दिखाने से कानूनी प्रणाली की प्रभावशीलता में जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय को पीड़ित के अधिकारों पर भी विचार करना चाहिए।इन परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें तीस साल की अवधि के लिए एक निश्चित अवधि की सजा दी जानी चाहिए।

बी.

सी.

डी.

17. तदनुसार, हम आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए निचली अदालत के सजा के आदेश को संशोधित करते हैं। हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा होगी।हम यह भी निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी को तीस साल की वास्तविक सजा पूरी करने के बाद ही रिहा किया जाएगा।अपील को उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति दी गई है।

ई.

अंकित ज्ञान

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

(सहायकः राउल सावंत और आर्श चौधरी, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.